सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/14/02/2018-सीशु नीति दिनांक: 11.12.2018

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2018

(अधिसूचना सं 02/004 दिनांक 26.07.2004 का संशोधन)

विषय : आईसीडी, करूर में एलसीएल निर्यात कार्गो की संभलाई के लिए अनुमति - के बारे में ।

सभी स्टीमर एजेंट, निर्यातकों,आयातकों एवं उनके प्रतिनिधियों (सीमा शुल्क दलालों), का ध्यान तमिलनाडु राज्य के करूर के मेसर्स केरी इंदेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड(भूतपूर्व मेसर्स कांटिनेन्टल कंटेनर फ्रेइट स्टेशन/ इंदेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड) के आइसीडी को आयात एवं निर्यात कार्गो की संभलाई हेतु सीमा शुल्क क्षेत्र घोषित करनेवाली सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8(ए) के अधीन जारी इस कार्यालय की अधिसूचना सं 02/2004 दिनांक 26.07.2018 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. मेसर्स केरी इंदेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर और और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9000 वर्ग फुट वाले कुल विद्यमान आच्छादित भांडागार क्षेत्र में से एलसीएल प्रचालन (निर्यात कार्गो का समेकन) प्रयोजनार्थ 1500 वर्गफुट हदबंदी किया जाता है । परिणामत:, कुल भांडागार क्षेत्र का पुनर्नियतन किया जाता है और निम्नानुसार संशोधित किया जाता है ।

एलसीएल (निर्यात) भांडागार - 1500 वर्ग फुट
एफसीएल (निर्यात) भांडागार - 6700 वर्ग फुट
एफसीएल (आयात) भांडागार - 800 वर्ग फुट

3. मेसर्स केरी इंदेव लॉजिस्टिक्स, अभिरक्षक को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

i. एलसीएल और एफसीएल कार्गो के लिए उन्हें क्षेत्र को हदबंद करना है और निर्यात एलसीएल कार्गो को उक्त प्रयोजन के लिए नियत क्षेत्र में रखना चाहिए और अन्य एफसीएल कार्गो के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए ।

ii. संवेदनशील कार्गो के भंडारण हेतु शेड में ताला लगाने की सुविधा होनी चाहिए ।

iii. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातक/निर्यातक को कोई कष्ट नहीं होता है ।

iv. हब-पाइंट प्रचालन (निर्यात कार्गो का समेकन) के लिए बोर्ड के परिपत्र 55/2000 दिनांक 30.06.2000 में निर्धारित कार्यविधि, सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन (एचसीसीएआर),2009 में कार्गो की संभलाई के उपबंधों तथा सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के संबंधित उपबंधों का अभिरक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए ।

v. यह सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

अशोक

(अशोक)

आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. ईडीआइ अनुभाग, मुख्यालय, तिरुच्चि (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
2. हिन्दी कक्ष(अनुवाद हेतु)
3. डाक सूची के अनुसार
4. नोटिस बोर्ड ।